(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (I.A.S)

इंतकाल अपील : 60/2024

तारीख रजू : 23.10.2024

निर्णय दिनांक : 24.02.2025

उनवान

1. रामनिवास पुत्र हजारी, जाति अहीर, निवासी ग्राम छारदड़ा, तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज.।

– अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली बहरोड़ राज.
2. रामनरेन्द्र पुत्र मातादीन, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम छारदड़ा, तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली बहरोड़ राज.।

– रेस्पौडेन्ट

3. रामसिंह
4. रामौतार
5. सतीश पुत्रान बिहारी
6. संतोष
7. राजबाला
8. कमला
9. कौशल्या पुत्रियान सरबती
10. मुकेश पुत्र बिहारी

समस्त जातियान अहीर, निवासी ग्राम छारदड़ा, तहसील कोटपूतली, जिला कोटपूतली बहरोड़, राज.।

– तरतीबी रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध तहसीलदार कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़ इंतकाल संख्या 1141 दिनांक 25.01.2022

उपस्थितः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री भोलाराम उपस्थित।
2. रेस्पौडेन्ट 03 लगा. 10 की ओर से वकील श्री विक्रमसिंह आर्य उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1141 दिनांक 25.01.2022 तहसीलदार, कोटपूतली द्वारा स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में उल्लेखित तथ्य को जाहिर करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जाने हेतु निवेदन किया। वकील अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि खसरा नम्बर 760/0.62 वाके ग्राम छारदड़ा तहसील कोटपूतली का बंटवारा सभी सहकाश्तकारों की सहमति से तहसीलदार कोटपूतली ने दिनांक

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

22.0.2021 का स्वीकार किया। उक्त बंटवारे के आधार पर नये बटा नम्बर कायम किये गये तथा नक्शे में तरमीम की गई लेकिन नक्शे मे तरमीम पक्षकारों के मौके पर काबिज अनुसार न करके मौके के विपरित तरमीम की गई है जो गलत है। उक्त तरमीम को दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार कोटपूतली से निवेदन करने पर तहसीलदार कोटपूतली ने तरमीम को दुरूस्त करने से मना कर दिया तथा सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए कहा। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि अपीलाधीन बंटवारा नामांतकरण संख्या 1141 दिनांक 25.01.2022 वाके ग्राम छारदड़ा की पालना में की गई नक्शे में तरमीम को अपास्त किया जाकर आराजी को खातेदारों के मौके पर काबिज अनुसार तरमीम की जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

वकील रेस्पोडेन्ट 02 ने जवाब अपील पेश कर निवेदन किया कि सहखातेदारो को मौके पर काबिज अनुसार तरमीम किया जावें तथा तरतीबी रैस्पोडेंट संख्या 03 लगा. 10 ने भी अपील स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है।

तहसीलदार कोटपूतली ने अपने पत्रांक संख्या भू0अ0/25/478 दिनांक 10.02.2025 के द्वारा बिन्दुवार टिप्पणी में निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 760 वाके ग्राम छारदड़ा तहसील कोटपूतली के प्रार्थी/अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पोडेन्ट्स रिकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है। उक्त भूमि का बंटवारा सभी सहखातेदारों की सहमति से बंटवारानामा आदेश क्रमांक/भू.अ./158 दिनांक 22.10.2021 को स्वीकार किया गया तथा बंटवारानामा में संलग्न नक्शानुसार ही तरमीम की गई है। प्रकरण में राजस्व कर्मचारियों की गलती नही है। इसलिए तरमीम प्रकरण रिव्यू योग्य नही है।

सर्वप्रथम अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर विद्वान अधिवक्ता की बहस पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का स्वीकार कर यह अपील अन्दर मियाद मानी जाकर वास्ते सुनवाई ग्रहण की गई।

उभय पक्ष की बहस एवं तहसीलदार कोटपूतली की बिन्दुवार टिप्पणी तथा पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन व अध्ययन करने पर पाया गया कि इंतकाल संख्या 1141 दिनांक 25.01.2022 वाके ग्राम छारदड़ा तहसील, तहसीलदार कोटपूतली द्वारा स्वीकार किया गया है। तहसीलदार कोटपूतली की बिन्दूवार टिप्पणी अनुसार बंटवारानामा में संलग्न नक्शानुसार ही तरमीम की गई है, जिसमें राजस्व कर्मचारियों की कोई गलती नही है। तरमीम प्रकरण रिव्यू योग्य नही है। इंतकाल संख्या 1141 दिनांक 25.01.2022 वाके ग्राम छारदड़ा तहसील कोटपूतली सहखातेदारों के सहमति से बंटवारानामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर तरमीम की जाने से तहत के द्वारा पारित आदेश सही साबित होता है। इस प्रकार अपीलान्ट के द्वारा वर्णित तथ्य प्रकरण में चस्पा नहीं होते है, जबकि पैरोकार सरकार की बिन्दुवार टिप्पणी प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा होती है। इस प्रकार अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली में संलग्न किया जावें एवं तहत का रिकार्ड भिजवाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली-बहरोड (राज.) सत्यमेव जयते

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़